न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 800–तीन/2008 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–2008– पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 429/2007–08 अपील

भैयालाल पुत्र रामकुमार मिश्र ग्राम
गभुआनी तहसील सिरमौर जिला रीवा
व्दारा मुख्त्यारआम
महेन्द्रप्रसाद मिश्र पुत्र भैयालाल मिश्र
ग्राम गभुआनी तहसील सिरमौर जिला रीवा ––––आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती सुषमा शुक्ला पत्नि महानंद निवासी
ग्रामगभुआनी तहसील सिरमौर जिला रीवा ––––अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 3– 8– 2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 429/2007–08 अपील में पारित आदेश. दिनांक 26–6–08 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावदेक ने नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सिरमौर के समक्ष आवेदन देकर भूमि सर्वे कमांक 62/2–क/1 रकबा 0.15 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर कब्जा.

अंकित करने की मांग की गई । नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 51 अ-6-अ/2001-02 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 2-4-2004 पारित किया एंव अनावेदक का कब्जा अंकित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण क्रमांक 388/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-12-2004 से अपील स्वीकार की तथा नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सिरमौर का आदेश दिनांक 2-4-04 निरस्त करते हुये अनावेदक का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के आदेश दिनांक 13-12-2004 के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 429/2007-08 अपील में पारित आदेश. दिनांक 26-6-08 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलेकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सिरमौर ने प्रकरण क्रमांक 51 अ-6-अ/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 2-4-2004 से वाद विचारित भूमि पर अनावेदक का कब्जा इसलिये अंकित नहीं किया है क्योंकि वाद विचारित भूमि दोनों पक्षों के बीच रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दिनांक 22-1-90 से आवेदक को प्राप्त हुई है। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने आदेश दिनांक 13-12-2004 में बताया है कि पटवारी हलका बगढ़ा के प्रतिवेदन दिनांक 11-9-2000 से अपीलांट सुषमा का विवादित भूमि रकबा 0-15 ए. में कब्जा होना प्रमाणित है और उन्होंने वाद विचारित भूमि पर अनावेदक श्रीमती सुषमा शुक्ला का कब्जा अंकित करने का आदेश दिया है।

1. मेघसिंह विरूद्ध बालमुकुन्द 2013 रा0नि0 113 में बताया गया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 दोषपूर्ण प्रविष्टियों के शुद्धीकरण का उपबंध करती है जिसका अस्तित्व पहले से हो। इन धाराओं के अधीन नवीन पविष्टि की सृष्टि नहीं की जा सकता - जिसका अस्तित्व ही न हो। इन धाराओं के अधीन किसी उपकृषक द्वारा खसरे में नाम प्रविष्टि करने का आवेदन भी नहीं दिया जा सकता है।

2. **कमल सिंह (श्रीमती) विरुद्ध श्रीमती अल्कासिंह 2011 रा0नि0 273 पर माननीय उच्च न्यायलय का न्याय दृष्टांत है – अशुद्ध प्रविष्टि तहसीलदार द्वारा धारा 115 अथवा 116 के अधीन शुद्ध की जा सकता है किन्तु कब्जे की नई प्रविष्टि इन धाराओं के अधीन नहीं की जा सकती है।**
3. चन्दन सिंह विरुद्ध कृपाल सिंह 2006 रा0नि0 104 में बताया गया है कि खसरा तैयार करने की प्रक्रिया हेतु नियम 7 एंव 8 विरचित किये गये हैं। तहसील न्यायालय के समक्ष धारा 121 के अधीन आधिपत्य दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र नहीं दिया जा सकता है और न ही दर्ज किया जा सकता है।

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण क्रमांक 388/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-12-2004 से नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 51 अ-6-अ/ 2001-02 में पारित विधिवत् आदेश दिनांक 2-4-2004 को निरस्त करके वाद विचारित भूमि पर अनावेदक का कब्जा अंकित करने के आदेश देने में भूल की गई है और उक्त तथ्यों पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश. दिनांक 26-6-08 पारित करते समय गौर न करने की भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर का आदेश दिनांक 13-12-2004 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश. दिनांक 26-6-08 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 429/2007-08 अपील में पारित आदेश. दिनांक 26-6-08 तथा अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 388/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-12-2004 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एंव नायव तहसीलदार वृत्त शाहपुर तहसील सिरमौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 51 अ-6-अ/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 2-4-2004 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर